

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 17/566

रामनारायण आत्मज श्री हजारी लाल जाति छीपा निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री तंवर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.09.2018


1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, कापरेन जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम कापरेन की आराजी खसरा नं. 3178/528 की 0.02 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान का निर्माण करने से अपीलान्ट के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पक्के मकान को बहक सरकार जप्त करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 30.12.2015 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि प्लाट को काफी समय पूर्व



ही खातेदार से क़य कर कब्जा प्राप्त किया तथा उस पर अपीलान्त का विद्युत कनेक्शन नियमानुसार हो रहा है इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौका स्थिति को बिना तस्दीक किये व मौका रिपोर्ट मंगाये बिना तथा किसी तरह की कोई साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्त ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त नायब तहसीलदार, कापरेन द्वारा पारित निर्णय की सर्टिफाइड प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यालय पहुंचा तो कार्यालय द्वारा बताया गया कि बून्दी न्यायालय द्वारा अभी आपकी फाईलें वापिस नहीं भेजी गई हैं । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु इंतजार करता रहा एवं प्रार्थी द्वारा नकल प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करवा दिया परन्तु अपीलान्त को नकल प्राप्त नहीं हुई । अपीलान्त को दिनांक 26.10.2017 को नकल प्राप्त हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
5. अपील अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि प्लॉट को काफी समय पूर्व ही खातेदार से क़य कर कब्जा प्राप्त किया तथा उस पर अपीलान्त का विद्युत कनेक्शन नियमानुसार हो रहा है इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौका स्थिति को बिना तस्दीक किये व मौका रिपोर्ट मंगाये बिना तथा किसी तरह की कोई साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया । उक्त आराजी अपीलान्त ने जरिये इकाररामा क़य की है । उक्त भूमि पर अपीलान्त का कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि पर अपीलान्त के मकान आदि बने हुए हैं । उक्त भूमि आबादी में आ जाने के कारण पूर्व में नगरपालिका द्वारा अपीलान्त को निर्णय के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अलग-अलग अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो नियम विरुद्ध है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।
7. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया है तथा अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्त ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
9. हमने नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि है जिस पर अपीलान्त ने अतिक्रमण करते हुए उक्त भूमि पर पक्का मकान बना लिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को प्रोपर नोटिस तामील कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है । अपीलान्त ने अपील बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि उसने उक्त भूमि जरिये इकरारनामा कय की थी । अपीलान्त ने इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की है । यह इकरारनामा खसरा नम्बर 525 के बाबत है । जबकि उनके विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही खसरा नम्बर 3178/528 की आराजी जो कि सिवायचक है के लिए की गई थी । अपीलान्त को इस इकरारनामे की आड में सरकारी सिवाय चक आराजी पर निर्माण करने का अधिकारी नहीं है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि पर जिस पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया जाकर पक्के मकान/दुकान का निर्माण करवाया गया है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय एवं नायब तहसीलदार, कापरेन द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 बहाल रखा जाता है ।
11. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 (भागवती जेठानी)
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा